भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4900

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : बीज गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली

4900. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेषज्ञों और औद्योगिक साझीदारों ने केन्द्र से बीज विधेयक, 2004 और बीज नीति, 2022 की समीक्षा करने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए कहा है ताकि इस क्षेत्र में नवीनतम विकास को शामिल किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश की बीज गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली कमजोर है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने और बीज विश्लेषकों को अद्यतन जानकारी देने जैसे मुद्दों पर इसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीज अधिनियम, 1966 और बीज नियम, 1968 में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में नया बीज अधिनियम और नीति लाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 तथा उसके संशोधनों के अंतर्गत किसानों को आपूर्ति किए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। इन कानूनों द्वारा राज्य सरकारों को बीज निरीक्षकों की नियुक्ति करने, बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने तथा देश में नकली/घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उचित उपाय करने का अधिकार दिया गया है।

बीज गुणवत्ता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्यसभा में बीज विधेयक, 2004 प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न हितधारकों के परामर्श से, वर्तमान उपयुक्तता के अनुसार विधेयक पर पुनर्विचार किया गया है तथा उसे संशोधित किया गया है।

वर्तमान में, देश भर में 176 अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं। इनमें से दो प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (आईएसटीए) द्वारा तथा सात प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 19 अप्रैल, 2023 को न्यूक्लियस-ब्रीडर-फाउंडेशन-प्रमाणित बीज से बीज श्रृंखला को कवर करने वाली प्रभावी निगरानी, दक्षता और पारदर्शिता के लिए सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड हॉलिस्टिक इंवेंटरी (साथी) पोर्टल-बीज ट्रेसेबिलिटी लॉन्च किया है। अधिकांश राज्य पहले ही साथी पोर्टल पर शामिल हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राज्यों और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को बीज परीक्षण प्रयोगशाला, विशेष बीज स्वास्थ्य परीक्षण इकाई और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सुविधाओं, ग्रो-आउट-टेस्ट फार्म, ग्रीन हाउस सुविधा को मजबूत करने, बीज परीक्षण में कार्यरत अधिकारियों सहित बीज से संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षण आयोजित करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन के तहत आईएसटीए शुल्क के भुगतान और बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के तकनीकी ऑडिट के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

*****